संख्या-629/2025/2042/22-2-2024-17(602)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-34726/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.11.2024), दिनांक 19.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री गंगा सिंह, जो मोराकांदर, थाना-ललपुरा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26.02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-141/2010, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 364/149, 201/149, 148 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफ०टी०सी०-द्वितीय, हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.04.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 09.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 25 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य में अपराध करने की अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि प्रकरण में 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26. 02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र गंगा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-48/2022) पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-629/2025/2042(1)/22-2-2024-17(602)/2024,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार हमीरपुर
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.

शासनादेश संख्या-629/2025/2042/22-2-2024-17(602)/2024

दिनांकः 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री गंगा सिंह, जो मोराकांदर, थाना-ललपुरा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26.02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-141/2010, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 364/149, 201/149, 148 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफ०टी०सी०-द्वितीय, हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.04.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 09.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 25 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य में अपराध करने की अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि प्रकरण में 07 बीघा जमीन के बैनामा पर आपत्ति लगाने के कारण बन्दी ने दिनांक 25/26. 02.2010 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा चाकू से वारकर व तमंचे से गोली मारकर 02 वयस्क एवं 04 नाबालिग बच्चे सहित कुल 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र गंगा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।